फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)

रामजी **बनाम** प्रभात वगै०

संख्या /वर्ष : 97 /2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	उसके बावजूद भी प्रा०पत्र 039 R4 CPC का पेश जवाब पेश नहीं किया। इसलिये प्रार्थी के जवाब के अवसर न दिया जाकर जवाब बन्द किया जाता है। वकील अप्रार्थी की बहस प्रा०पत्र 039 R4 CPC पर सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 25/1/2021 को पेश हो। [signature]	उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ
25/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 039 R4 CPC पर प्रार्थी/अप्रार्थी वकील श्री रमाशंकर शर्मा की बहस सुनी गई। एड० शर्मा ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 039 R4 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी/अप्रार्थी स० 1 की खातेदारी भूमि ख०न० 41 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, ख०न० 394/87 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, ख०न० 84 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, ख०न० [illegible] रकबा 0.1600 हैक्टेयर, ग्राम [illegible] नांगल गोगोरियान तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जो प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है	[signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त शुदा स्व अर्जित भूमि आय का एक मात्र स्त्रोत है। जिसमें वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। ख०न०५१ के साबिक ख०न० ४५ से बना है जिसे प्रार्थी ने रामधन पुत्र श्योनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23/7/87 को क्रय किया था जिसका पंजीयन उपपंजीयक जमवारामगढ के कार्यालय से दिनांक 23/7/1987 को कराया गया। ख०न० 2954/87 के साबिक ख०न० 57/1, ख०न० 84, 85 के साबिक ख०न० 56 से बना है। जो प्रार्थी को आवंटित भूमि है। जिसकी गैरखातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज थी जिसकी खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 115 प्रार्थी के नाम दर्ज की गई। उक्त प्रकार से उक्त सम्पूर्ण भूमियां प्रार्थी / अप्रार्थी नं० 1 की स्व अर्जित भूमियां है ना कि पैतृक भूमियां है। उक्त सम्पत्ति से प्रार्थीगण / वादियागण या अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं है। उक्त सम्पत्ति को बेचने ~~बेचने~~ के सम्पूर्ण अधिकार प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्णतः प्राप्त है अप्रार्थी / प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में खातेदारी भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए माननीय

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature N…
Digitally signed … Meena
Date: 2021.02.…
Reason: SelfAt…

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

राजन्ती बनाम प्रभात वगैरह

...या /वर्ष : 97 /2020

...नांक आज्ञा ...कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	न्यायालय से अप्रार्थीगण / वादिया गण ने मुगालते में रखकर सम्पूर्ण भूमियो पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/11/2020 को प्राप्त कर लिया। जिससे प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। उक्त स्टे की आड़ में प्रार्थी द्वारा अपनी विधवा बहु के हक में किया जाने वाला दान पत्र का पंजीयन भी रुक गया है। जिसका वादियागण/ अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र O 39 R4 CPC को स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18/11/2020 से प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 1 की स्व अर्जित खातेदारी भूमि ख0नं0 - 41, 254/87, 84, 85 को जारी स्टे आदेश को खारिज फरमाया जाकर बेचान ([illegible]) की स्वीकृति प्रदान की जावे। वकील अप्रार्थी सं0 1 की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण राजन्ती व अन्य ने	

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		विवादित भूमियां पर दिनांक 18/11/2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी गण प्रभात व अन्य को पाबन्द कराया गया था। लेकिन उक्त विवादित भूमिया अप्रार्थी स०1 की स्व अर्जित भूमिया है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक-अधिकार नहीं बनता है या खातेदार प्रभात को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जा सकता है इसीलिये प्रार्थी। अप्रार्थी स०1 द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 039 R4 CPC को स्वीकार किया जाता है तथा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18/11/2020 को खारिज किया जाता है। तथा अप्रार्थी स०1 प्रभात को उक्त भूमिया का बेचान व हस्तान्तरण किये जाने स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल रिकार्ड हो। उक्त प्रार्थना पत्र मूलवाद के साथ संलग्न किया जावे। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Signature

Digitally signed
Meena
Date: 2021.0
Reason: Self